

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक J897/दो-12-10/2023

उमरिया दिनांक 11.09.2024


नीलामी सूचना

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया के निम्नानुसार वाहन, जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, के खुली नीलामी/ई-नीलामी के माध्यम से नीलाम (विक्रय) किये जाने हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है :-

क्र.	कार्यालय का नाम	वाहन का क्रमांक	मॉडल वर्ष	वाहन का प्रकार	निर्धारित ऑफसेट प्राइज
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया	MP-02-HC-0186	2010	Tata Indigo GLX	50,000/-
		MP-02-AV-2867	2009	Tata Indigo GLX	50,000/-
		MP-02-HC-0187	2010	Mahindra Xylo D2 MDL CRED 2WD (BS-III)	50,000/-

उपरोक्त वाहन की नीलामी हेतु शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 14.10.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक प्रत्येक वाहन हेतु अमानत राशि 10,000-10,000/- (दस-दस हजार रुपये मात्र) जमा कर बोली में भाग ले सकते हैं। दिनांक 14.10.2024 को ही सायं 3.00 बजे से बोली प्रारंभ की जावेगी। इसके साथ ही इच्छुक व्यक्ति M/s. MSTC Ltd. के द्वारा संचालित ई-ऑक्शन सुविधा अंतर्गत ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।

संलग्न :- निविदा सूचना म.प्र.शर्तें।


11/09/2024
प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक 1897/दो-12-10/2023

उमरिया दिनांक 11.09.2024

नीलामी सूचना


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया के निम्नानुसार वाहन, जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, के खुली नीलामी/ई-नीलामी के माध्यम से नीलाम (विक्रय) किये जाने हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है :-

क्र.	कार्यालय का नाम	वाहन का क्रमांक	मॉडल वर्ष	वाहन का प्रकार	निर्धारित ऑफसेट प्राइज
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया	MP-02-HC-0186	2010	Tata Indigo GLX	50,000/-
		MP-02-AV-2867	2009	Tata Indigo GLX	50,000/-
		MP-02-HC-0187	2010	Mahindra Xylo D2 MDL CRED 2WD (BS-III)	50,000/-

नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी शर्तें निम्नानुसार होगी:-

1. वाहन जहाँ है, जिस हालत में है, लिया जावेगा।
2. बोलीदार को वाहन की धरोहर राशि रूपये 10000-10000/- प्रति वाहन (दस-दस हजार रूपये) नज्दत अनुभाग जिला न्यायालय उमरिया में नीलामी/बोली के पूर्व नकद जमा करना अनिवार्य होगा, जिस व्यक्ति के द्वारा धरोहर राशि जमा किया जावेगा, वही व्यक्ति बोली में भाग ले सकेगा। बोली स्वीकृति नहीं होने की दशा में धरोहर/अमानत राशि वापसी योग्य होगी।
3. बोली स्वीकृति होने के पश्चात यदि बोलीदार नियत समय में वाहन प्राप्त नहीं करता है तो अमानत राशि वापस नहीं की जावेगी तथा राशि राजसात कर ली जावेगी।
4. वाहन की स्थिति का जायजा आवेदक लेना चाहता है तो प्रभारी अधिकारी, नज्दत अनुभाग, जिला न्यायालय उमरिया से अनुमति प्राप्त कर अवलोकन किया जा सकता है, इच्छुक व्यक्ति कार्यालय समय में वाहन का अवलोकन कर सकते हैं।
5. इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 14.10.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक अमानत राशि जमा कर बोली में भाग ले सकते हैं। दिनांक 14.10.2024 को ही सायं 3.00 बजे से बोली प्रारंभ की जावेगी।
6. इच्छुक व्यक्ति M/s. MSTC Ltd. के द्वारा संचालित ई-ऑक्शन सुविधा अंतर्गत ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। प्रशासनिक समिति, जिला न्यायालय उमरिया के द्वारा खुली नीलामी में लगाई गई बोली एवं ई-नीलामी में लगाई गई बोली का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए दोनों में से जिसकी सर्वाधिक बोली होगी, उसे स्वीकार किया जावेगा।

7. जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली स्वीकार की जावेगी, उसे नीलामी के दिन तत्काल 25 प्रतिशत (अमानत राशि को छोड़कर) एवं शेष राशि 3 दिवस के अंदर नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय उमरिया में नकद/ऑनलाईन/ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि जमा करनी होगी, तत्पश्चात ही वाहन सुपुर्द किया जावेगा।
8. वाहन सुपुर्द किये जाने के पश्चात संबंधित वाहन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वीकृत बोलीदार की होगी।
9. बोलीदार द्वारा लगाई गई बोली को कार्यालय प्रमुख के द्वारा किसी भी दशा में स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
10. उक्त बोली में न्यायिक अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके रिश्तेदार/संबंधी भाग नहीं लेंगे।


11/09/2024
प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)